संचिका संख्या–4प/मानदेय–140–01/2024/821(स्था०)/पं०रा०

अत्यावश्यक/अभिलम्ब
ई–मेल/फैक्स

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक

किशोर कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 4/3/2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र की नियत फीस के पूर्व वित्तीय वर्षो का बकाया भुगतान हेतु कुल ₹45,94,44,383.00 (पैतालीस करोड़ चौरानवे लाख चौवालीस हजार तीन सौ तिरासी रूपये) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः–स्वीकृत।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 94 (1) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक ग्राम कचहरी में एक सचिव होगा जो विहित रीति से नियुक्त किया जायेगा। उक्त धारा के अधीन गठित बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 के नियम 8 (1) में प्रावधान किया गया है कि ग्राम कचहरी अपने द्वारा नियोजित सचिवों को नियत मानदेय का भुगतान करेगी। पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या 8प/वि–5–133/2014/2515 दिनांक 05.05.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय की राशि ₹6,000.00 (छह हजार रूपये) प्रतिमाह का प्रावधान किया गया है।

2. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 94 (2) सहपठित धारा 146 के अधीन गठित बिहार ग्राम कचहरी अथवा उसकी किसी न्यायपीठ को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन मे सहायता करने के लिए एक न्यायमित्र का नियोजन विहित रीति से किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त आलोक में गठित बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के नियम–8 (1) में ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 के आलोक में निर्गत अधिसूचना संख्या–8प/वि–5–133/2014/2516 दिनांक 05.05.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से न्यायमित्रों को नियत फीस की राशि ₹7,000.00 (सात हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह नियत फीस देय होगी।

3. उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 के आलोक में वितीय वर्ष 2024–25 में संलग्न विवरणी–1 के अनुसार ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय/ग्राम कचहरी न्यायमित्र के फीस का पूर्व वर्षो का बकाया भुगतान हेतु दस जिला (बांका, पटना, मधेपुरा, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, भोजपुर, सहरसा, सारण एवं सिवान) से प्राप्त अधियाचित राशि एवं शेष जिलों को भी पूर्व के

कृ०पृ०उ

वर्षों के बकाया भुगतान हेतु कुल अधियाचित राशि **₹45,94,44,383.00 (पैतालीस करोड़ चौरानवे लाख चौवालीस हजार तीन सौ तिरासी रूपये)** मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. वित्तीय वर्ष 2024–25 में ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र को राशि भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत "मुख्यशीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0010–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" मद के "विषय शीर्ष–0010.31.04–सहायक अनुदान–वेतन" ईकाई से विकलनीय होगी। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड–16-2515001980010 है।

5. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्वीकृत राशि को संबंधित संविदा कर्मी की उपस्थिति विवरणी के आधार पर सीधे संबंधित संविदा कर्मी ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के खाते में सी०एफ०एम०एस० के माध्यम से अंतरित करेंगे। बकाये का भुगतान भी नियमानुसार सी०एफ०एम०एस० के माध्यम से किया जा सकेगा।

6. इस स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित जिलों के जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा की वे अपने जिला के ग्राम कचहरियों के लिए स्वीकृत एवं आंवटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 माह के अन्दर निश्चित रूप से पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7. सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 14596/2024 निर्मला देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में उपलब्ध करायी जा रही राशि से बकाये मानदेय का भुगतान किया जा सकता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक 12888 दिनांक 03.12.2024 के आलोक में वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या 4प/मानदेय–140–01/2024 में पृष्ठ संख्या 47/टि० दिनांक 24/1/25 को प्राप्त है।

10. इस स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 4प/मानदेय–140–01/2024 के पृष्ठ संख्या 44/टि० पर दिनांक 14/1/25 को प्राप्त है।

11. इस स्वीकृत्योदश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना एवं माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या 4प/मानदेय–140–01/2024 के पृष्ठ संख्या 51/टि० पर दिनांक 28/1/25 को प्राप्त है।

12. इस स्वीकृत राशि का निर्धारित समय में अंकेक्षण कराने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

कृ०पृ०उ

13. इस स्वीकृत्यादेश तथा संलग्न विवरणी के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित है।

3/3
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–4प / मानदेय–140–01 / 2024 / 821(स्वी०) पं०रा० पटना, दिनांक 04 / 3 / 2025
प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी / सभी जिला कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–4प / मानदेय–140–01 / 2024 / 821(स्वी०) पं०रा० पटना, दिनांक 04 / 3 / 2025
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–4प / मानदेय–140–01 / 2024 / 821(स्वी०) पं०रा० पटना, दिनांक 04 / 3 / 2025
प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–5 (बजट) / आई०टी०मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना इस स्वीकृत्यादेश को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करना सूनिश्चत करेंगे।

3/3/25
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–4प / मानदेय–140–03 / 2023 / 821(स्वी०) पं०रा० पटना, दिनांक 04 / 3 / 2025
प्रतिलिपिः– आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3/3/25
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

विवरणी–1

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र को पूर्व के बकाया मानदेय एवं नियत फीस राशि की भुगतान हेतु राशि की स्वीकृत

क्र०	जिला	जिला द्वारा प्राप्त मांग पत्र	कुल स्वीकृत राशि		
1	2	3	4		
1	अररिया	1566/14.10.2024	₹	2,47,13,000.00	(दो करोड़ सैतालीस लाख तेरह हजार रूपये) मात्र
2	अरवल		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
3	औरंगाबाद		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
4	बांका	2201/05.12.2024	₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
5	बेगुसराय		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
6	भागलपुर		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
7	भोजपुर	2704/25.10.2024	₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
8	बक्सर		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
9	दरभंगा		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
10	गया		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
11	गोपालगंज		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
12	जमुई		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
13	जहानाबाद		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
14	कैमूर		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
15	कटिहार		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
16	खगड़िया		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
17	किशनगंज		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
18	लखीसराय		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
19	मधेपुरा	1655/13.11.2024	₹	1,14,18,000.00	(एक करोड़ चौदह लाख अठारह
20	मधुबनी	3969/25.11.2024	₹	1,89,79,100.00	(एक करोड़ नवासी लाख उनासी
21	मुंगेर		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
22	मुजफ्फरपुर		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
23	नालंदा		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
24	नवादा		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
25	पश्चिम चंपारण		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
26	पटना	4073/05.12.2024	₹	1,90,00,400.00	(एक करोड़ नब्बे लाख चार सौ
27	पूर्वी चंपारण		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
28	पूर्णिया		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
29	रोहतास		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
30	सहरसा	2917/12.11.2024	₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
31	समस्तीपुर		₹	1,00,00.000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
32	सारण	2581/23.09.2024	₹	2,82,64,134.00	(दो करोड़ बयासी लाख चौसठ
33	शेखपुरा		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
34	शिवहर		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
35	सीतामढ़ी	2987/19.10.2024	₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
36	सिवान	2398/26.09.2024	₹	3,70,69,749.00	(तीन करोड़ सत्तर लाख उनहत्तर
37	सुपौल		₹	1,00,00,000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
38	वैशाली		₹	1,00,00.000.00	(एक करोड़ रूपये) मात्र
कुल राशि			₹	**45,94,44,383.00**	(पैतालीस करोड़ चौरानवे लाख चौवालीस हजार तीन सौ तिरासी

3/3/25
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

D:\Nawal 2025\Chandan Aso\Gram Kachahri\Allowance\GK sachiv& nayaymitra.xls